भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **676** जिसका उत्तर

गुरूवार, **22 जुलाई**, 2021/31 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाएं

†676. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन, शिपिंग और जलमार्ग के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(ख) इस क्षेत्र में कार्य में लगे उन लोगों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है जिनका रोजगार चला गया?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क): महापत्तनों पर कोविड-19 का प्रभाव मार्च, 2020 से शुरू हुआ। कुल यातायात और कंटेनर यातायात में काफी कमी आई थी। तथापि जून, 2020 से सुधार होना शुरू हुआ है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

(i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समय समय पर सभी पत्तनों को जहाज से उतरने वाले नाविकों या क्रूज यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग, डिटेक्शन और क्वारंटाईन प्रणाली स्थापित करने, आने वाले कर्मीदल/यात्रियों से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करने, थर्मल स्क्रेनर लगवाने और व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण (पीपीई) संबंधी तैयारी को अर्जित करने, एन-95 मास्क खरीदने, पत्तनों पर यात्रियों तथा पत्तन कार्मिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए है। उनको यह भी सलाह दी गई कि वे अपने सभी कार्मिकों, उनके परिवार वालों के

टीकाकरण, नाविकों के लिए टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था करें, पत्तन अस्पतालों में जीवन रक्षा दवाईयों और इंजेक्शनों (रेमडिसिवीर, आदि) का पर्याप्त स्टॉक रखें, बेहतर आईसीयू उपचार सुविधाएं और वेंटिलेटर तथा आक्सीजन उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा, विलंब-शुल्क और अन्य जुर्माना/प्रभारों को प्रभारित नहीं करते हुए व्यापार जगत को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न ऐडवाईजरी/ परिपत्र जारी किए थे। मानवीय हस्तक्षेप के बिना सुगम कार्यक्रम जारी रखने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी/डिजिटल समावेशन भी किए गए नामत: पीसीएक्स 1एक्स पर ई-इंवोईस, ई-भुगतान, ई-डीओ और ई-बीओएल। इसके अलावा, देश में आक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों की बहुत अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सभी महापत्तनों को मैडीकल ग्रेड आक्सीजन, आक्सीजन टैंक, आक्सीजन बोर्टल, पोर्टेबल आक्सीजन जनरेटर, आक्सीजन कांसन्ट्रेटर, आक्सीजन सिलंडर के निर्माण के लिए स्टील पाइप और संबंधित उपकरणों का वहन करने वाले जलयानों को 25 अप्रैल, 2021 से तीन महीने के लिए सभी प्रभारों (जलयान संबंधी प्रभारों, भंडारण प्रभारों आदि) में छूट देने और बर्थिंग क्रम में उच्च वरीयता देने के निर्देश दिए गए थे।

(ख): इस क्षेत्र में किसी का रोजगार नहीं गया है। तथापि, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 50 लाख रु. का आर्थिक मुआवजा दिया है जो कार्य-स्थल पर कोविड संक्रमण के कारण जान गवाने वाले सभी कार्मिकों के आश्रित सदस्यों/कानूनी वारिसों को प्रदान किया जा रहा है।

*****